UPCH010028052024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जनपद चित्रकूट ।

उपस्थित–शेष मणि ....एच0जे0एस0

सत्र वाद संख्या– 581/2024

राज्य उत्तर प्रदेश

––––––––––अभियोजन

बनाम

विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव पुत्र जागेश्वर उर्फ भज्जू यादव निवासी ग्राम टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट हाल पता बी 13 यादव नगर, समयपुर बादली थाना समयपुर बादली दिल्ली (किराये का मकान) –––––––––अभियुक्त

मु0अ0सं0–33/2024

धारा–307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना मारकुण्डी, जनपद चित्रकूट ।

बचाव पक्ष की ओर से श्री गया प्रसाद, एडवोकेट

(चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल)

अभियोजन की ओर से श्री श्यामसुन्दर मिश्रा, डी0जी0सी0(फ़ि0)

<u>अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षीगण</u>

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1	पी0डब्लू0–1	नीता	वादिनी मुकदमा
2	पी0डब्लू0–2	शिवलखन उर्फ सुलखन यादव	चोटहिल साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा	चिकित्सक साक्षी
4	पी0डब्लू0–4	डॉ0 राजेन्द्र प्रताप	चिकित्सक साक्षी
5	पी0डब्लू0–5	डॉ0 जितेन्द्र सरोज	चिकित्सक साक्षी
6	पी0डब्लू0–6	शिवकलिया	तथ्य की साक्षी
7.	पी0डब्लू0–7	उपनिरीक्षक मनीष कुमार	विवेचनाधिकारी
8.	पी0डब्लू0–8	का0 सोमदेव कुमार	चिक व जी0डी0 लेखक
9.	पी0डब्लू0–9	निरीक्षक शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय	विवेचनाधिकारी

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.06.15 07:04:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साबित दस्तावेज

क्र0 सं0	प्रदर्श	दस्तावेज	साबित करने वाले साक्षी
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी0डब्लू0–1
2	प्रदर्श क–2	मेडिकल रिपोर्ट मजरूब शिवलखन	पी0डब्लू0–3
3	प्रदर्श क–3	मेडिको लीगल रिपोर्ट मजरूब शिवलखन	पी0डब्लू0–4
4	प्रदर्श क–4	चिकित्सीय आख्या मजरूब शिवलखन	पी0डब्लू0–5
5	प्रदर्श क–5	सप्लीमेन्ट्र रिपोर्ट मजरूब शिवलखन	पी0डब्लू0–5
6	प्रदर्श क–6	घटनास्थल का रेखाचित्र	पी0डब्लू0–7
7	प्रदर्श क–7	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–8
8.	प्रदर्श क–8	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–8
9.	प्रदर्श क–9	आरोपपत्र	पी0डब्लू0–9

साबित भौतिक वस्तु

क्र0 सं0	भौतिक वस्तु प्रदर्श सं0	भौतिक वस्तु का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
1	वस्तु प्रदर्श–1	एक्सरे प्लेट मजरूब शिवलखन	पी0डब्लू0–4

निर्णय

1. अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 323, 504 506 (नई धारा 109(2), 115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0) के अन्तर्गत थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया है।

2. वादिनी मुकदमा नीता पत्नी शिवलखन निवासी टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा दी गयी घटना की तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित कथनानुसार अभियोजन पक्ष का यह केस है कि *प्रार्थिनी नीता पत्नी शिवलखन निवासी टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जिला चित्रकूट की रहने वाली है। आज दिनॉक 10.05.2024 को समय 5 बजे प्रातः मेरा पति शिवलखन अपने जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहा था तभी विनोद पुत्र भज्जू यादव निवासी टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जिला चित्रकूट आया, गाली गलौज करते हुए कहने लगा, साले हमे खेत नहीं दिया, कहकर मारने पीटने लगा। जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसकी गोली मेरे पति के बॉये पैर के घुटने के ऊपर लगी। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।*

3. वादिनी मुकदमा नीता द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर मु0अ0सं0–33/2024 अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट में अभियुक्त यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव

के विरूद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 है। उसी दिन उक्त सूचना की प्रविष्टि थाने की कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–3 में की गयी।

4. मुकदमा दर्ज होने के पश्चात विवेचनाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का रेखा चित्र प्रदर्श क–6 तैयार किया गया तथा मजरूब शिवलखन का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 का आरोपपत्र प्रदर्श क–9 विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, चित्रकूट के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, चित्रकूट द्वारा अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर दिनॉक 03.10.2024 को अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुए मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण आदेश दिनॉकित 23.10.2024 द्वारा प्रकरण को विचारार्थ सत्र न्यायालय (इस न्यायालय) को उपार्पित कर दिया गया।

6. दिनॉक 19.11.2024 को तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव के विरूद्ध धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत लिखित रूप से आरोप विरचित किया गया जिसके संबंध में अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक न करते हुए विचारण की मॉग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से केस को साबित करने के लिए वादिनी मुकदमा नीता को बतौर पी0डब्लू0–1, चोटहिल शिवलखन उर्फ सुलखन यादव को बतौर पी0डब्लू0–2, डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–3, डॉ0 राजेन्द्र प्रताप को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–4, डॉ0 जितेन्द्र सरोज को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–5, शिवकलिया को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–6, उपनिरीक्षक मनीष कुमार को बतौर पी0डब्लू0–7, का0 सोमदेव कुमार को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–8 एवं निरीक्षक शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय को बतौर साक्षी पी0डब्लू0–9 परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षीगण के मुख्य बयान को यहॉ सन्दर्भित किया जा रहा है जिसका विश्लेषण प्रतिपरीक्षा के साथ निर्णय में आगे किया जायेगा।

9. **साक्षी नीता पी0डब्लू0–1** ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहा है कि यह घटना दिनांक 10.05.2024 सुबह 5:00 बजे के आस पास की है। मेरे पति शिवलखन अपने जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहे थे तभी विनोद आया और मेरे पति को गाली देने लगा और उसने कहा कि साले खेत मुझको दे दो

अगर तुम मुझे खेत नहीं दोगे तो मैं तुम्हे जान से मार डालूंगा। वहीं पर मेरी सास उपस्थित थी। जब मेरे पति और सास ने विरोध किया तब विनोद यादव ने तमन्चा निकालकर मेरे पति शिवलखन के ऊपर फायर कर दिया जो मेरे पति के पैर के घुटने के ऊपर लगी थी। गोली की आवाज सुनकर आस पास के लोग आ गये तो विनोद जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया। इस घटना की सूचना गांव वालों ने 112 नम्बर डायल कर पुलिस को दी थी। मौके पर पुलिस आ गयी और पुलिस वाले ही मेरे घायल पति को मानिकपुर सी0एच0सी0 में भर्ती कराये थे। प्राथमिक उपचार के बाद मेरे पति को जिला अस्पताल कर्वी के लिये रेफर कर दिया गया था। मेरे पति का इलाज जिला अस्पताल कर्वी में काफी दिनों तक चला था। घटना के समय मैं अपने मायके में थी। इस घटना की सूचना मेरे गांव के राम बालक ने फोन से मुझको दिया था और यह बताया था कि विनोद ने तुम्हारे पति को गोली मार दी है। मैं वहां से तुरन्त चलकर जिला अस्पताल पहुंची जहां पर मेरे पति ने मुझको घटना के बारे में बताया तब मैने अपने चाचा रामराज से बोल–बोलकर तहरीर लिखवाकर थाना मारकुण्डी में विनोद के खिलाफ लिखकर दिया था, जिसके आधार पर विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे चाचा रामराज ने तहरीर लिखने के पश्चात् मुझको पढकर सुनाया था तब मैने उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। अदालत में उपस्थित विनोद को देखकर साक्षी ने उसकी पहचान किया। मेरी सास ने बताया था कि भागते समय उसने कहा था कि जेल से छूटने के बाद मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 5क **तहरीर** को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही तहरीर है जिसको मैने विनोद के खिलाफ थाना मारकुण्डी में अपने चाचा रामराज से लिखवाकर दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिसकी मैं पुष्टि करती हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। घटना के बाद विवेचक को मैने यही बयान दिये थे।

10. साक्षी शिवलखन उर्फ सुलखन यादव बतौर पी0डब्लू0–2 ने मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना दिनांक **10.05.2024** को सुबह 5 बजे के आस.पास की है। सुबह मैं अपने जानवरो को चारा.भूसा देकर बाहर आया तो मेरे सगे चाचा भज्जू यादव का लड़का विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव आकर मुझसे गाली.गलौज करने लगा और कहा कि तुमने अपने बिल्लू की जमीन जिसको मुझे लेना था क्यों बेचवा दिया तो मैने कहा कि ये जमीन बिल्लू के हिस्से की थी उसने अपनी मर्जी से बेचा है वह यहां रहता भी नहीं और मुझसे पूंछा भी नहीं तो इस संबंध मैं क्या कर सकता हूं। मेरे इतना कहने पर विनोद यादव उपरोक्त ने मुझे थप्पड़ मारकर गिरा दिया और अपने कमर में खोंसे हुये

तमंचे से मेरे ऊपर फायर कर दिया जिससे गोली मेरे पैर के जांघ में लगी। पैर में लगी गोली आर.पार हो गयी थी। वहां उपस्थित मेरी मां शिवकलिया ने बीच.बचाव किया तभी विनोद यादव अपने हाथ में तमंचा लिये हुये किसी की मोटरसाईकिल लेकर टिकरिया के तरफ चला गया। यह मोटरसाईकिल से ही आया था और मोटरसाईकिल को घटनास्थल से थोड़ा दूर खड़ा कर दिया था। घटना के समय मेरी पत्नी मायके में थी। सूचना के बाद वह तुरंत मेरे पास आयी और मेरे साथ जो घटना घटी थी उसको मैने अपनी पत्नी से बताया तब पत्नी ने विनोद यादव के खिलाफ थाने में रिपोर्ट किया। इस घटना की सूचना मेरे गांव के ही रहने वाले शिव **प्रसाद** ने अपने मोबाईल से थाना मारकुण्डी में सूचना दी। सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर घटनास्थल पर आकर मुझे पहले सरकारी अस्पताल मानिकपुर ले गयी उसके बाद **प्रा**थमिक उपचार के बाद मानिकपुर सरकारी अस्पताल से जिला अस्पताल **चित्रकूट रे**फर कर दिया गया था। जहां पर मेरा तीन–चार दिन तक ईलाज चला था। अदालत में उपस्थित अभियुक्त को देखकर साक्षी ने पहचान की और बताया कि इसी व्यक्ति ने मुझे तमंचे से गोली मारी थी। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

11. साक्षी डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा बतौर पी0डब्लू0–3 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2024 को सुबह 7:30 बजे मेरी इमरजेन्सी ड्यूटी में शिवप्रसाद पुत्र रामअधार एवं कान्सटेबिल सतीश कुमार के द्वारा शिवलखन पुत्र रज्जू यादव उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी टिकरिया को मेरे पास इलाज हेतु लाया गया। मुझे बताया गया कि शिवलखन को गोली लगी है। मेरे द्वारा मजरूब शिवलखन का प्राथमिक उपचार किया गया और एम्बुलेन्स से जिला अस्पताल चित्रकूट के लिये रेफर कर दिया गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 21क/1 **मेडिकल रिपोर्ट** मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

12. साक्षी डॉ0 राजेन्द्र प्रताप बतौर पी0डब्लू0–4 ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.05.2024 को शिवलखन यादव जिला अस्पताल में दाखिल हुआ था। उसको पुलिस लेकर आयी थी। वह व्यक्ति अपने बायें पैर में गोली लगने की बात बता रहा था। मेरे द्वारा उसके बायें पैर का एक्स–रे किया गया, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा सीरियल नम्बर 153/24 दिनांक 11.05.2024 को ही तैयार किया गया था। उसके पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 16क/4 **एक्स–रे** रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श**

क–3 डाला गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 19क **एक्स–रे प्लेट** इसी मजरूब की एक्स–रे प्लेट है, जिसका एक्स–रे कराने के बाद इसी एक्स–रे प्लेट के आधार पर मैने रिपोर्ट तैयार की थी, एक्स–रे रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

13. **साक्षी डॉ0 जितेन्द्र सरोज बतौर पी0डब्लू0–5** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2024 को मेरी जिला अस्पताल में इम. रजेन्सी ड्यूटी लगी हुयी थी, उसी दौरान मजरूब शिवलखन को पुलिस वाले लेकर आये थे, जिसकी चोटों का मेरे द्वारा मेडिकल परीक्षण किया गया और सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार की गयी। मजरूब के शरीर में दो चोटें पायी गयी।

चोट संख्या 1 – लैसरेटेड वुण्ड साइज 1.5 **X** 1.5 सेन्टीमीटर था जो बायें पैर की जांघ पर अवस्थित था।

चोट संख्या 2 – लैसरेटेड वुण्ड साइज 1.5 **X** 0.5 सेन्टीमीटर था जो बायें पैर की जांघ पर अवस्थित था।

14. मजरूब को एक्स–रे के लिये मेरे द्वारा एडवाइस किया गया था। मजरूब ने बताया था कि मुझको यह चोट गोली लगने से आयी है। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 16क/1 लगायत 16क/3 **मेडिकल रिपोर्ट** मेरे द्वारा तैयार की गयी थी, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। कागज संख्या 8क **सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट** भी मेरे द्वारा तैयार की गयी थी जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

15. **साक्षी शिवकलिया बतौर पी0डब्लू0–6** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मजरूब शिवलखन मेरा बड़ा लड़का है जो मेरे साथ रहता है। छोटा लड़का बिल्लू 15–20 वर्ष पहले से अपने ससुराल हिनौता में रहता है। बिल्लू की जमीन अभियुक्त खरीदना चाह रहा था। लेकिन बिल्लू ने अपनी जमीन किसी अन्य को बेच दिया। इसी खुन्नश के चलते विनोद ने मेरे सामने मेरे लड़के शिवलखन को मारा पीटा और गोली मारकर भाग गया। मैं बार–बार मना कर रही थी कि उसको न मारो लेकिन वह मेरी बात नहीं सुना। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

16. **साक्षी उपनिरीक्षक मनीष कुमार पी0डब्लू0–7** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2024 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना मारकुण्डी में तैनात था। इसी दिनांक को अपराध संख्या 33/2024, धारा 307,323,504, 506 भा0द0सं0 की विवेचना ग्रहण करते हुये नकल चिक, नकल

रपट कायमी, बयान लेखक एफ0आई0आर0 कान्सटेबिल मोहर्रिर सोमदेव तथा वादिया नीता के बयान लिये गये। दिनांक 12.05.2024 को पर्चा संख्या 2 किता करते हुये अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। दिनांक 18.05.2024 को पर्चा संख्या 3 किता किया गया जिसमें अभियुक्त की पतारसी की गयी। दिनांक 26.05.2024 को पर्चा संख्या 4 किता किया गया जिसमें अभियुक्त की पतारसी की गयी। दिनांक 28.05.2024 को पर्चा संख्या 5 किता किया गया जिसमें उपरोक्त वाद में वांछित अभियुक्त विनोद यादव के बारे में थाना प्रशान्त विहार जिला रोहिणी दिल्ली के स्पेशल स्टॉफ उपनिरीक्षक सुरेश कुमार द्वारा जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि आपके मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद यादव थाना प्रशान्त विहार रोहिणी दिल्ली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 207/2024, धारा 25/54/59 आयुध अधिनियम 1959 चोरी के मुकदमें में गिरफ्तारी हुयी है जो के0एन0 काटजू जिला रोहिणी दिल्ली में पंजीकृत अपराध संख्या 0013834/2024 धारा 379 भा0द0सं0 में वांछित था। स्पेशल स्टॉफ उपनिरीक्षक सुरेश कुमार ने जरिये व्हाट्स अप अपराध संख्या 207/2024 की छायाप्रति प्राप्त कराया जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। दिनांक 28.05.2024 को पर्चा संख्या 6 किता करते हुये माननीय न्यायालय से बी0 वारण्ट प्राप्त किया गया। दिनांक 10.06.2024 को पर्चा संख्या 7 किता किया गया जिसमें माननीय न्यायालय में अभियुक्त के तलब होने की तारीख 10.06.2024 नियत की गयी है। दिनांक 10.06.2024 को पर्चा संख्या 8 किता किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पेश होने के लिये अग्रिम तिथि 28.06.2024 नियत की गयी। दिनांक 11.06.2024 पर्चा संख्या 9 किता किया गया जिसमें वादिया के निशानदेही पर जहां मजरूब को अभियुक्त के द्वारा गोली मारी गयी थी उस घ टनास्थल का निरीक्षण किया गया और नक्शा नजरी तैयार किया गया। तत्पश्चात् मेरा स्थानान्तरण हो गया था। आगे की विवेचना शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया था। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 13 **नक्शा नजरी** को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही नक्शा नजरी है जिसे मैने वादी के निशानदेही पर तैयार किया था, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

17. साक्षी का0 मुंशी सोमदेव कुमार बतौर पी0डब्लू0–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.05.2024 को मेरे कार्यलेख के दौरान वादिया नीता व तहरीर लेखक रामराज तहरीर लेकर आये थे। तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार के निर्देश पर मैने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर अपराध संख्या 33/2024, धारा 307,323,504,506 भा0द0सं0 के तहत विनोद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी, जिसका हवाला इसी दिनांक को

समय 10:05 बजे जी0डी0 संख्या 22 में किया था। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/3 **प्रथम सूचना रिपोर्ट** को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही एफ0आई0आर0 है जिसको मैने कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल–बोलकर लिखवाया था, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार के हस्ताक्षर बने हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। कागज संख्या 7क **जी0डी0** को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही जी0डी0 है जो मेरे द्वारा तैयार करायी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। वादिया के पति शिवलखन को उपचार हेतु पूर्व में ही कान्सटेबिल सतीश कुमार द्वारा जिला चिकित्सालय कर्वी में भर्ती कराया गया था। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

18. साक्षी निरीक्षक शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय बतौर पी0डब्लू0–9 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं घटना के समय थाना मारकुण्डी में नियुक्त नहीं था। तत्समय प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी थी। मैं थाना मारकुण्डी में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था।मेरे द्वारा घटना उपरोक्त में सी0डी0 संख्या 10 से सी0डी0 संख्या 31 तक विवेचना की है। मैने ही इस मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया है। सी0डी0 संख्या 10 दिनांकित 17.06.2024 किता करते हुये इस प्रकरण की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। सी0डी0 संख्या 11 दिनांक 19.06.2024 को किता करते हुये पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया तथा मेडिकल रिपोर्ट, एक्स–रे रिपोर्ट तथा सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट का भी अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। सी0डी0 संख्या 12 दिनांक 20.06.2024 को किता करते हुये सी.एच.सी. मानिकपुर के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। सी0डी0 संख्या 13 दिनांक 21.06.2024 को किता करते हुये मजरूब शिवलखन उर्फ सुलखन यादव का बयान तथा मजरूब को आयी चोटों के सम्बन्ध में श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद चित्रकूट को पत्र प्रेषित किया था जिससे कि मजरूब की चोटों की स्पष्ट जानकारी मिल सके तथा जिला अस्पताल में इलाज करने वाले डाक्टर जितेन्द्र सरोज का बयान अंकित किया। सी0डी0 संख्या 14 दिनांक 24.06.2024 को किता करते हुये बयान चश्मदीद साक्षी श्रीमती शिवकलिया, रामखेलावन आदिवासी, रामबालक यादव के बयान अंकित किये थे। सी0डी0 संख्या 15 दिनांक 28.06.2024 के दिन मैं अवकाश पर था, यह पर्चा प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा किता कराया गया था जिसमें अभियुक्त को वारण्ट बी के तहत तिहाड़ जेल दिल्ली से तलब होना था परन्तु अभियुक्त नहीं आने का पर्चा किता किया गया है। सी0डी0 संख्या 16 दिनांक 10.07.2024 किता करते हुये पुनः वारण्ट बी बनवाकर उसके तामीला हेतु आरक्षी भूपेन्द्र कुमार को

तिहाड़ जेल दिल्ली रवाना किया गया था जो तामील कराकर वापस आने का पर्चा किता किया गया है। सी0डी0 संख्या 17 दिनांक 12.07.2024 किता करते हुये अभियुक्त को वारण्ट बी के तहत आज न्यायालय उपस्थित होना था परन्तु किसी कारणवश तिहाड़ जेल से चित्रकूट न आने का पर्चा किता किया गया है। सी0डी0 संख्या 18 दिनांक 14.07.2024 किता करते हुये आरक्षी सूर्यकान्त यादव को नये वारण्ट बी के तामीला हेतु तिहाड़ जेल रवाना करने का पर्चा किता किया गया। सी0डी0 संख्या 19 दिनांक 18.07.2024 किता करते हुये पूर्व वारण्ट बी के तहत अभियुक्त को तिहड़ जेल दिल्ली से चित्रकूट आना था परन्तु अभियुक्त नहीं आने का पर्चा किता किया गया। सी0डी0 संख्या 20 दिनांक 25.07.2024 किता करते हुये पुनः माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये रिमाइन्डर आदेश का तामीला करने हेतु विशेष वाहक भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। सी0डी0 संख्या 21 दिनांक 26.07.2024 किता करते हुये पुनः वारण्ट बी का तामीला हेतु आरक्षी भूपेन्द्र कुमार को तिहाड़ जेल दिल्ली रवाना करने का उल्लेख है। सी0डी0 संख्या 22 दिनांक 29.07.2024 किता करते हुये वारण्ट बी का तामीला तिहाड़ जेल दिल्ली में कराते हुये वापस आने का उल्लेख किया गया है। सी0डी0 संख्या 23 दिनांक 02.08.2024 किता करते हुये वारण्ट बी के तहत आज अभियुक्त को तिहाड़ जेल दिल्ली से न्यायालय आना था परन्तु अभियुक्त नहीं आया जिसके सम्बन्ध में तिहाड़ जेल से सूचना प्राप्त होने तथा बयान गवाह शिव प्रसाद अंकित किये जाने का उल्लेख है। सी0डी0 संख्या 24 दिनांक 05.08.2024 किता करते हुये पुनः अभियुक्त को तलब कराने के लिये न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिविजन/ए0सी0जे0एम0 चित्रकूट से रिमाइन्डर आदेश जारी किये जाने का उल्लेख है। सी0डी0 संख्या 25 दिनांक 08.08.2024 को किता करते हुये रिमाइन्डर आदेश तामीला हेतु आरक्षी भूपेन्द्र कुमार को तिहाड़ जेल भेजे जाने का उल्लेख है। सी0डी0 संख्या 26 दिनांक 13.08.2024 किता करते हुये आरक्षी भूपेन्द्र यादव द्वारा रिमाइन्डर आदेश तामील कराकर वापस आने का उल्लेख किया गया है। सी0डी0 संख्या 27 दिनांक 22.08.2024 किता करते हुये अभियुक्त विनोद यादव तिहाड़ जेल दिल्ली से वारण्ट बी के तहत तलब होकर चित्रकूट न्यायालय आने तथा मुकदमा उपरोक्त में 14 दिवस रिमाण्ड स्वीकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है। सी0डी0 संख्या 28 दिनांक 22.08.2024 को ही किता करते हुये न्यायालय हवालात में मौजूद अभियुक्त विनोद यादव का अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान अंकित किया तथा रेडियोलाजिस्ट डॉ0 राजेन्द्र प्रताप, गवाह विष्णु उर्फ बिल्लू यादव का बयान अंकित किये गये हैं। सी0डी0 संख्या 29 दिनांक 04.09.2024 किता करते हुये अभियुक्त का 14 दिवस रिमाण्ड स्वीकृत करने का पर्चा किता किया गया। सी0डी0 संख्या 30 दिनांक 13.09.2024 किता

करते हुये सी0एच0सी0 मानिकपुर में डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा का बयान अंकित किया गया है। सी0डी0 31 दिनांक 15.09.2024 किता करते हुये बयान आरक्षी सतीश कुमार अंकित किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र संख्या 50/2024 विरूद्ध विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/5 **आरोप पत्र** मेरे द्वारा तैयार कराया गया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुये हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

19. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (नई धारा 351 बी0एन0एस0एस0) लेखबद्ध किया गया जिसमें अभियुक्त ने उसके विरूद्ध गलत मुकदमा साजिशन व रंजिशन पंजीकृत कराया गया है। साक्षियों द्वारा गलत साक्ष्य देना कहा और यह कहा कि उसने कथित अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया लेकिन उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

20. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद, एडवोकेट (चीफ लीगल एड डिफेंस काउन्सिल) की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन कथनानुसार दिनॉक 10.05.2024 को समय प्रातः 05 बजे जब वादिया नीता के पति शिवलखन जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहे थे तभी विनोद यादव पुत्र जागेश्वर उर्फ भज्जू यादव खेत न देने को लेकर गाली गलौज करने लगा, मारने पीटने लगा और विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर कर दिया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मजरूब के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आग्नेयास्त्र की उपहति नहीं बतायी गयी है और न ही एक्सरे रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र के प्रयोग होने का कोई प्रकरण आया है। तथ्य के साक्षीगण व चिकित्सीय आख्या में सारवान प्रकृति का अन्तर है। जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्त को झूठा फॅसाया गया है। मजरूब को जो चोटें आयी हैं वह साधारण प्रकृति की हैं जो स्वयं उसके गिरने से आयी हैं। वादिनी मुकदमा स्वयं घटना के समय मौके पर नहीं थी तथा वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है जबकि उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का रेखाचित्र बनाया गया है जो अपने आप में संदिग्ध हो जाता है। अभियुक्त के पास से कथित घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र की कोई बरामदगी नहीं हुई है। घटनास्थल से खूनालूद व सादा मिट्टी नहीं ली गयी और न ही उसकी कोई फर्द तैयार की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

श्री श्यामसुन्दर मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनॉक 10.05.2024 को समय 5 बजे प्रातः वादिनी का पति शिवलखन अपने जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहा था तभी अभियुक्त विनोद आकर उसे गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि साले खेत उसे नहीं दिया और उसे मारने पीटने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसकी गोली शिवलखन के बॉये पैर के घुटने के ऊपर लगी और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। उपरोक्त अभियोजन कथानक को अभियोजन साक्षीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य से पुष्ट किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है तथा अभियुक्त आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य है।

22. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

23. प्रस्तुत सत्र परीक्षण के अवधारणार्थ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (अब धारा 393 बी0एन0एस0एस0) के अन्तर्गत निम्न बिन्दु प्रोद्भूत होते हैं–

1. क्या दिनॉक 10.05.2024 को समय प्रातः 5 बजे स्थान वादिनी के घर के बाहर स्थित ग्राम टिकरिया जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट में अभियुक्त विनोद यादव द्वारा जान से मारने की नीयत से शिवलखन के ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किया गया?

2. क्या प्रश्नगत घटना में शिवलखन को उपहतियॉ कारित हुई हैं?

3. क्या प्रश्नगत घटना की तिथि पर अभियुक्त द्वारा शिवलखन को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी?

4. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

24. <u>निस्तारण बिन्दु सं0–1, 2, 3 एवं 4</u>

वादिनी मुकदमा नीता पत्नी शिवलखन ने थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट में तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत करके प्रकरण पंजीकृत कराया कि दिनॉक 10.05.2024 को समय 5 बजे प्रातः उसका पति शिवलखन अपने जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहा था तभी विनोद पुत्र भज्जू यादव आया और गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि साले हमे खेत नहीं दिया, कहकर मारने

पीटने लगा। जब इसका विरोध किया तो उसने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसकी गोली उसके पति के नीचे पैर के घुटने के ऊपर लगी और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।

25. उपरोक्त अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–1 नीता (चोटहिल की पत्नी), पी0डब्लू0–2 शिवलखन उर्फ सुलखन यादव एवं पी0डब्ल0–6 शिवकलिया (चोटहिल की मॉ) तथा चोटहिल की चोटों का डाक्टरी परीक्षण करने वाले साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा, पी0डब्लू0–4 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद एवं पी0डब्लू0–5 डॉ0 जितेन्द्र सरोज को परीक्षित कराया गया है।

26. साक्षी पी0डब्लू0–1 नीता पत्नी शिवलखन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक 10.05.2024 को सुबह 5 बजे के आसपास की है। उसके पति शिवलखन अपने जानवरों को घर के बाहर भूसा डाल रहे थे तभी विनोद आया ओर उसके पति को गाली देने लगा और उसने कहा कि साले खेत उसको दे दो अगर उसे खेत नहीं दोगे तो उसे जान से मार डालेगा। वहीं पर उसकी सास उपस्थित थी। जब उसके पति और सास ने विरोध किया तो विनोद यादव ने तमंचा निकालकर उसके पति शिवलखन के ऊपर फायर कर दिया जो उसके पति के पैर के घुटने के ऊपर लगीं। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गये तो विनोद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी सास ने बताया था कि भागते समय अभियुक्त ने कहा था कि जेल से छूटने के बाद वह तुम सबको जान से मार देगा। इस साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह घटना के समय अपने मायके मऊ 'ब' में थी। उसके गॉव जमुनिहाई के रामबालक ने फोन करके घटना की सूचना दिया। सूचना पर वह अपने मायके वालों के साथ सीधे जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी लगभग 11 बजे दिन पहुॅची थी। जिला अस्पताल कर्वी में वह दिनभर रही थी फिर मारकुण्डी थाने प्रधान के साथ गयी थी। वह मारकुण्डी थाने ढाई बजे पहुॅची थी और प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन दरोगा जी थाने में नहीं थे, इसके बाद वह थाने से चली आयी थी।

27. साक्षी पी0डब्लू0–2 शिवलखन उर्फ सुलखन यादव जो स्वयं चोटहिल साक्षी है, ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 10.05.2024 को सुबह 5 बजे के आसपास की है। सुबह वह अपने जानवरों को चारा भूसा देकर बाहर आया तो उसके सगे चाचा भज्जू यादव का लड़का विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव उसे आकर गाली गलौज करने लगा और कहा कि तुमने अपने बिल्लू की जमीन जिसको उसे लेना था क्यों बेचवा दिया तो उसने कहा कि यह जमीन बिल्लू के हिस्से की थी, उसने अपनी मर्जी से बेचा

है, वह यहॉ रहता भी नहीं है और उससे पूछा भी नहीं है तो इस संबंध में वह क्या कर सकता है। इतना कहने पर विनोद यादव उसे थप्पड मारकर गिरा दिया और अपने कमर में खोसे हुए तमंचे से उसके ऊपर फायर कर दिया जिससे गोली उसके पैर के जॉघ में लगी। पैर में लगी गोली आरपार हो गयी। वहॉ पर उपस्थित उसकी मॉ शिवकलिया ने बीच बचाव किया तभी विनोद अपने हाथ में तमंचा लिए किसी की मोटर साईकिल लेकर टिकरिया की तरफ चला गया। उसने अपने साथ घटी घटना अपनी पत्नी को बताया तब पत्नी ने विनोद यादव के खिलाफ थाने में रिपोर्ट किया। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जिस दिन उसे गोली लगी थी, बयान लेने के बाद भी दरोगा जी उसके घर आये थे और उसका पैर चेक किया था ओर उससे पूछतांछ भी किया था। यह भी कथन किया है कि विवादित से उसका कोई लेना देना नहीं था, यह जमीन उसके भाई के हिस्से की थी। भाई ने अपने हिस्से की जमीन को बेचा था। विनोद से उसकी इसी जमीन के बावत रंजिश चल रही थी। हम दोनों का जमीन के पीछे मनमुटाव था। प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि घटना के दिन सुबह उससे व विनोद से जमीन के बावत कहा सुनी हुई थी और इसी कहा सुनी के बीच में विनोद ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर गया। इसके बाद विनोद उसके पैर में गोली मारकर चला गया था, उसकी मॉ रोने लगी थी। विनोद ने सटाकर उसके पैर में गोली मारी थी।

28. साक्षी पी0डब्लू0–6 शिवकलिया ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मजरूब शिवलखन उसका बड़ा लड़का है जो उसके साथ रहता है। छोटा लड़का बिल्लू 15–20 वर्ष पहले से अपने ससुराल हिनौता में रहता है। बिल्लू की जमीन अभियुक्त खरीदना चाह रहा था लेकिन बिल्लू ने अपनी जमीन किसी अन्य को बेच दिया। इसी खुन्नस के चलते विनोद ने उसके सामने उसके लड़के शिवलखन को मारापीटा और गोली मारकर भाग गया। वह बार बार मना कर रहीथी कि उसको न मारो लेकिन वह उसकी बात नहीं सुना। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि इस घटना को लगभग तीन वर्ष हो चुका है। विनोद ने मारा था। साक्षी ने अपनी हथेली दिखाकर बताया कि इतनी बड़ी तमंचा से मारा था। साक्षी ने अपने दोनों हाथों के इशारे से बताया कि पूरे चेहरे पर मारा था। शिवलखन गाय को चारा भूसा डाल रहा था। घटना के बाद मोहल्ले के लोग पहुॅच गये थे। यह घटना सुबह की है।

29. साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 पुष्पेन्द्र शर्मा ने अपने सशपथ बयान में बताया है कि दिनॉक 10.05.2024 को सुबह 7.30 बजे उसकी इमरजेंसी ड्यूटी में शिवप्रसाद पुत्र रामअधार व का0 सतीश कुमार के द्वारा शिवलखन पुत्र रज्जू को उसके पास इलाज हेतु लाया गया। उसे बताया गया कि शिवलखन को गोली

लगी है। उसने मजरूब शिवलखन का प्राथमिक उपचार किया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल चित्रकूट रेफर किया। मेडिकल रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क–2 है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मजरूब उसके पास स्ट्रेचर पर आया था। जब वह मजरूब का प्राथमिक उपचार कर रहा था तो उसके शरीर में एक चोट बॉयी जंघा पर देखी थी। यह चोट लेसरेटेड उण्ड थी। उसने मजरूब का प्राथमिक उपचार करके उसे रेफर किया था।

30. साक्षी पी0डब्लू0–4 डॉ0 राजेन्द्र प्रताप ने मौखिक साक्ष्य में बताया है कि दिनॉक 11.05.2024 को शिवलखन यादव जिला अस्पताल में दाखिल हुआ था, उसको पुलिस लेकर आयी थी। वह व्यक्ति अपने बॉये पैर में गोली लगने की बात बता रहा था। उसके द्वारा मजरूब के बॉये पैर का एक्सरे किया गया । उसके पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। दाखिल एक्सरे रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में प्रदर्श क–3 व एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श–1 है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी कहा है कि मजरूब के एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया।

31. साक्षी पी0डब्लू0–5 डॉ0 जितेन्द्र सरोज ने मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि दिनॉक 10.05.2024 को उसकी जिला अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी लगी थी, उसी दौरान मजरूब शिवलखन को पुलिस वाले लेकर आये थे जिसकी चोटों का परीक्षण करके सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट तैयार की थी। चोट नं0– लेसरेटेड उण्ड साइज 1.5 x 1.5 से0मी0 था जो बॉये पैर की जॉघ पर अवस्थित था। चोट नं0–2 लेसरेटेड उण्ड साइज 1.5 x 0.5 से0मी0 था जो बॉये पैर की जॉघ पर अवस्थित था। मजरूब ने यह चोट गोली लगने से आना बताया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मजरूब के शरीर का मुआइना करने के बाद दो चोटें पायी गयी थी, इसके अलावा अन्य कोई चोट नहीं पायी थी। ये दोनों चोटें मजरूब के एक ही जॉघ में पायी गयी थी। वह नहीं बता सकता कि मजरूब को आयी दोनों चोटें एक ही हथियार से आयी थी या अलग अलग हथियार से। दोनों चोटों के मध्य लगभग 02 से0मी0 का गैप था। वह इस विषय में कुछ नहीं कह सकता कि मजरूब को आयी चोटें छड़ लगने से आयी या कैसे आयी। उसकी रिपोर्ट में मजरूब को गोली मारने वाली बात नहीं लिखी है।

32. चोटहिल शिवलखन की चोट आख्या प्रदर्श क–4 के अवलोकन से यह विदित होता है कि चोटहिल के बॉये जॉघ में लगभग दो से0मी0 के अन्तराल में लेसरेटेड उण्ड की चोटें दर्शित की गयी है जिन्हें एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया गया है। चोटें ताजी बतायी गयी हैं। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल शिवलखन के बॉयीं जॉघ में कोई अस्थि विसंधान होना नहीं पाया गया है तथा सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श क–5 में चोटों की प्रकृति साधारण बतायी गयी है।

33. साक्षी पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मनीष कुमार विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जॉच रिपोर्ट उसके समक्ष नहीं है। मजरूब के अलावा अन्य किसी स्थान पर गोली लगने के निशान घटनास्थल पर नहीं दिखाये गये। घ टनास्थल से खोखा कारतूस, छर्रे व असलहा बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्त को उसने गिरफ्तार नहीं किया था। अभियुक्त दिल्ली में सरेण्डर किया था। अभियुक्त अन्य किसी मामले में वॉछित था जिसके संबंध में उसने दिल्ली में सरेण्डर किया था। इस मामले में अभियुक्त ने सरेण्डर नहीं किया था।

34. प्रस्तुत प्रकरण के मजरूब शिवलखन वादिनी मुकदमा का पति है जिसके द्वारा उसके पति के बॉये पैर के घुटने के ऊपर तमंचा से फायर करने पर गोली लगने की चोट कही गयी है। साक्षी पी0डब्लू0–2 शिवलखन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा हे कि पेर में लगी गोली आरपार हो गयी थी जबकि चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–5 द्वारा साधारण प्रकृति की चोट अंकित किया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी रिपोर्ट में मजरूब को गोली लगने वाली बात नहीं लिखी है। साक्षी पी0डब्लू0–7 के बयान से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि घटनास्थल पर गोली लगने के निशान नहीं पाये गये, न ही घटनास्थल पर कोई खोखा कारतूस, छर्रा, असलहा बरामद हुआ। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्त द्वारा मजरूब साक्षी पी0डब्लू0–2 शिवलखन को तमंचा जैसे आग्नेयास्त्र से फायर करके प्राणघातक चोटें पहुॅचायी गयीं। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

35. साक्षी शिवलखन मजरूब के बयान व चिकित्सीय आख्या से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त द्वारा मजरूब शिवलखन को मारपीट कर सामान्य उपहतियॉ पहुॅचायी गयीं व अपमानित करने के आशय से गाली गलौज किया गया, अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504 भा0दं0सं0 का अपराध अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध है। जहॉ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अपराध का प्रश्न है, अभिलेख से यह तथ्य साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्त द्वारा शिवलखन को जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर करके गोली मारी गयी। स्वयं साक्षी पी0डब्लू0–2 के बयान से भी स्पष्ट है कि अभियुक्त विनोद यादव द्वारा थप्पड़ मारने से वह जमीन पर गिर गया था, ऐसी स्थिति में गम्भीर उपहति पहुॅचाने व जान से मारने का पूर्ण अवसर अभियुक्त को प्राप्त था। प्रस्तुत मामले में साक्षी पी0डब्लू0–2 के बयान से यह पूर्णरूप से साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 506 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

36. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव के विरूद्ध धारा 307 व 506 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323 एवं 504 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। तद्नुसार बिन्दु सं0– 1 लगायत 4 निर्णीत किये जाते हैं।

37. इस प्रकार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों से अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 323 एवं 504 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतएव अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव उक्त धाराओं के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 एवं 506 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है, अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव को धारा 307, 506 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323 एवं 504 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है, अतः उक्त धाराओं के आरोप में उसे दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद को पेश हो।

दिनॉक– 11.06.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

11.06.2026

पत्रावली लन्च बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव जिला कारागार से आहूत होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया।

शास्ति/दण्ड के प्रश्न पर मैने दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव व उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का 35 वर्षीय नवयुवक व्यक्ति है, उसके ऊपर घर परिवार के पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है। वह अत्यन्त ही गरीब व्यक्ति है तथा उसके मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं है एवं उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता नियुक्त कर उसके मामले की पैरवी की गयी है। भूलवश उससे यह अपराध हो गया है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे दोषसिद्ध अपराधों में कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा चोटहिल शिवलखन उर्फ सुलखन यादव को जमीन के विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की गयी है तथा उसे साशय अपमानित करने के लिए गालियॉ देकर लोक शॉन्ति भंग की गयी है। अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है, अतः दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त को 35 वर्षीय नवयुवक व्यक्ति होना तथा उसके अत्यन्त गरीब होने के कारण मामले की कोई पैरवी न करने वाला बताया गया है। यह भी बताया गया है कि उसके मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा की जा रही है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का 39 आपराधिक मामलों का इतिहास होना बताया गया है लेकिन सजा के संबंध में कोई प्रलेख दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों व कारित अपराध की प्रकृति को विचारगत रखते हुए इस न्यायालय का यह अभिमत है कि दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव को धारा 323 भा0दं0सं0 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास व 1000/–रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड

अदा करने में विफल रहने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 504 भा0दं0सं0 के अपराध में छः माह के कठोर कारावास व 1000/-रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से दण्ड के व्यापक सिद्धान्त के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव को धारा 323 भा0दं0सं0 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास व 1000/-रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद यादव उर्फ बादशाह उर्फ सुनील यादव को धारा 504 भा0दं0सं0 के अपराध में छः माह के कठोर कारावास व 1000/-रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा करने में विफल रहने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेगीं।

दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सजा में समायोजित होगी।

तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विरूद्ध सजायाबी वारण्ट बनाकर उसे सजा भुगतने के लिए जिला कारागार चित्रकूट भेजा जाये।

प्रस्तुत मामले के वस्तु प्रदर्श का निस्तारण अपील न होने की दशा में अपील हेतु विहित अवधि के उपरान्त तथा यदि अपील संस्थित की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशान्तर्गत किया जायेगा।

इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनॉक– 11.06.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनॉकित कर सुनाया गया।

दिनॉक– 11.06.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी05751